रेलवे में निरीक्षकों की पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया

*426. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु कोई प्रक्रिया है और क्या इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अधिकारियों को उनके सेवा काल की समाप्ति तक कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है; यदि हां, तो उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल में ऐसे निरीक्षकों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) रेलों में निरीक्षकों सहित अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया मौजूद है।

पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, पदों को प्रवरण या गैर-प्रवरण पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रवरण पद के रूप में वर्गीकृत पदों के लिए पदोन्नति चयन की एक निश्चित कार्रवाई के आधार पर की जाती है, जबकि गैर-प्रवरण पद के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर होती है।

वास्तविक पदोन्नति से पहले, कर्मचारियों की आसन्न निम्नतर ग्रेड से कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए।

प्रवरण पदों पर पदोन्नति हेतु पैनल बनाने के लिए, आकलित रिक्तियों के तीन गुणा के बराबर वरिष्ठतम पात्र कर्मचारियों को चयन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा और/या मौखिक परीक्षा होती है, परन्तु प्रत्येक प्रवरण के लिए मौखिक परीक्षा अनिवार्य है। व्यावसायिक योग्यता में 60% तथा कुल में से 60% अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही, उनकी वरिष्ठता तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर, पैनल में रखा जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि 80% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 'उत्कृष्ट' श्रेणी में रखा जाता है और वे विचार के क्षेत्र में आने वाले अपने से वरिष्ठ 50% कर्मचारियों का अधिक्रमण कर सकते हैं। लकिन, संरक्षा कोटियों में पदोन्नति के मामले को छोड़कर, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के कर्मचारियों को इन मानक में छूट दी जाती है।

गैर-प्रवरण पदों में पदोन्नति हेतु चयन सूची बनाने के लिए, आकलित रिक्तियों की संख्या के बराबर संख्या में वरिष्ठतम पात्र कर्मचारियों के नाम पर विचार किया जाता है। उपयुक्तता का निर्धारण सेवा रिकार्ड तथा/अथवा विभागीय परीक्षा, जैसा आवश्यक हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसी संभावना नहीं है कि निरीक्षक के रूप में कार्यरत किसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा-अवधि के दौरान कोई पदोन्नति न दी जाए। निरीक्षकों की कोटि में नियुक्ति आम तौर पर पदोन्नति द्वारा की जाती है और कुछ कोटियों में नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भी की जाती है। निरीक्षकों के लिए, चाहे वे प्रोमोटी हों, या सीधी भर्ती द्वारा आए हों, उच्चतर ग्रेडों या पदों में पदोन्नति के चैनल मौजूद हैं। इसके अलावा, अपने ही स्थान पर पदोन्नति की योजना भी मौजूद है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सेवा-अवधि के दौरान कम से कम एक पदोन्नति अवश्य हो, बशर्ते कि योजना में निर्धारित शर्तें पूरी की जा रही हों।

Construction of Overbridges and Underbridges in Bihar

*427 SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of road overbridges and underbridges under construction in Bihar, at present, with district-wise details thereof;

(b) how many such bridges have actually been sanctioned for the State and on how many of them work is yet to be started;

(c) whether Government have fixed any targets for the State for commissioning of road over/underbridges to close the level crossings during the Eighth Five Year Plan;

(d) if so, the details thereof and whether the targets are nearing full achievement; and

(e) if not, the action Government propose to take to achieve the set targets?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) Total number of sanctioned works of overbridges in Bihar at present — 8.

1. Arrah	—	Distt. Bhojpur
2. Yarpur	—	Distt. Patna
3. Sindri	—	Distt. Dhanbad (Deposit work)
4. Hajipur	—	Distt. Hajipur (Deposit work)
5. Motihari	—	Distt. East Champaran
6. Fatuah	—	Distt. Patna
7. Parasnath	—	Distt. Hazaribagh
8. Chakradharpur	—	Distt. West Singhbhum

Of these item 1 to 5 are in various stages of progress. Work on item 6, 7, & 8 has not yet started.

(c) to (e) No targets are given by Railways to State Govts. Railway holds meetings with the State Govts. to urge them to carry out their portion of work on approaches expeditiously. During Eighth Plan three works of Road Over/ Under Bridges have been completed in Bihar. Besides, the Railway has completed its portion of work on Arrah, Yarpur & Motihari Road Over Bridges but State Govt. has yet to complete work on approaches. Yarpur bridge though opened to traffic with one leg on Mithapur side is still to be provided the other leg on Gardenibag side by State Govt.

Termination of Lease of Shikshan Prasarak Mandal

*428. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is fact that Government have taken a decision to terminate the lease regarding grant of land belonging to Shikshan Prasarak Mandal, Mumbai, for running R.R. Ruia College & R.A. Podar College, before expiry of the lease perod;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reason for such an unilateral decision?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The college authorities have sub-letted a part of the premises to United Western Bank which is doing commercial activities. They also started construction of new building without the issue of No objection certificate by the Railway. These are against the terms and conditions of lease agreement. Also, the Mandal did not respond to various letters issued in this connection.

Failure of Crop Insurance Scheme

*429. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Crop Insurance scheme introduced by Government has not been successful in view of the fact that the amount of insurance demanded by the State Governments has not been met in full; and

(b) if so, the year-wise details of the amount given for the Crop Insurance Scheme to the State Government of Gujarat for disbursement to farmers during the last three years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) No, Sir. All the genuine payable claims are paid after due processing. Claims paid in Gujarat during the last three years are as follows:—

S.No.	Year	Claims Paid
		(Rs. in lakhs)
1.	1993-94	16239.76
2.	1994-95	450.84
3.	1995-96	1695.84